

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 52/2015

संस्थापन दिनांक 09.02.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-गौरव भदौरिया पुत्र वीरबहादुर भदौरिया, उम्र 25
साल, निवासी ग्राम चितावली थाना सुरपुरा जिला
भिण्ड

2-लोकेन्द्रसिंह पुत्र घनश्यामसिंह कुशवाह उम्र 26
साल निवासी ग्राम नुन्हाटा थाना उमरी जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि अभियुक्त गौरव ने दिनांक 15.06.14 को 17:10 बजे बस स्टैण्ड थाना मौ जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञा के एक ऑटोमैटिक पिस्टल मय दो जिन्दा राउण्ड के रखी तथा अभियुक्त लोकेन्द्र ने अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञा के चार जिन्दा राउण्ड रखे।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.06.14 को फरियादी बी0एस0 परिहार अ0सा01 को थाना मौ में एसआई के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा गश्त के दौरान मुखबिर से दूरभाष पर सूचना मिली कि बस स्टैण्ड मौ पर टाटा सफारी गाड़ी क्रमांक यू0पी0-80-एम.-4000 में दो व्यक्ति अवैध पिस्टल लिए बैठे हैं। सूचना की तस्दीक के लिए वह बस स्टैण्ड मौ पहुंचा जहां उक्त सफारी गाड़ी में दो लडके थे जिन्हें उतारा व तलाशी ली तो आरोपी गौरव के पैन्ट के नीचे बांयी तरफ एक ऑटोमैटिक पिस्टल मिली जिसकी मैगजीन में दो जिन्दा राउण्ड थे और डाइवर सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति आरोपी लोकेन्द्र के पैन्ट के दाहिनी जेब में चार जिन्दा राउण्ड 7.35 के मिले आरोपीगण से आयुध रखने का

लाइसेन्स मांगा तो न होना बताया तब साक्षी मोहन अ0सा04 और अमीन अ0सा02 के समक्ष अभियुक्त लोकेन्द्र से चार जिंदा राउण्ड समक्ष गवाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व अभियुक्त गौरव से पिस्टल मय दो जिन्दा राउण्ड के समक्ष गवाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-2 व बनाया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 व 4 बनाया तत्पश्चात मय माल व आरोपीगण के थाना वापिस आकर थाना मौ में अप0क्र0 221/14 की एफ.आई.आर. प्र0पी-5 पंजीबद्ध की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
 1. क्या अभियुक्त गौरव ने दिनांक 15.06.14 को 17:10 बजे बस स्टैण्ड थाना मौ जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञा के एक ऑटोमैटिक पिस्टल मय दो जिन्दा राउण्ड के रखी ?
 2. क्या अभियुक्त लोकेन्द्र ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञा के चार जिन्दा राउण्ड रखे ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी बी0एस0 परिहार अ0सा01 का कथन है कि वह दिनांक 15.06.14 को थाना मौ में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कस्बा गश्त के दौरान मुखबिर से फोन पर सूचना मिली कि बस स्टैण्ड मौ पर टाटा सफारी गाड़ी नंबर यू.पी.80-एम.4000 में दो लड़के अवैध पिस्तौल लिए हैं। सूचना की तत्पश्चात मय फोर्स के रवाना होकर बस स्टैण्ड पहुंचा। उक्त सफारी में से बैठे लड़कों को उतारा व तलाशी ली तो आरोपी गौरव के पैन्ट के नीचे बांयी तरफ एक पिस्टल ऑटोमैटिक जिसकी मैगजीन में दो जिंदा राउण्ड मिले व दूसरा व्यक्ति जो डायवर सीट पर बैठा था लोकेन्द्र की पैन्ट की दाहिनी जेब में चार जिंदा राउण्ड 7.35 के मिले उक्त दोनों लोगों से पिस्टल व राउण्ड रखने का लाइसेन्स मांगा तो उनके द्वारा कोई लाइसेन्स न होना बताया। तब समक्ष गवाहन मोहन तौमर अ0सा04 व अमीन खां अ0सा02 के आरोपी लोकेन्द्र से जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 के वर्णानुसार चार जिंदा राउण्ड पीतल के जिनकी पेंदी पर 7.35 लिखा था एवं एक टाटा सफारी गाड़ी नंबर यू.पी.-80-एम.-4000 ग्रीन कलर की अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने मौ से जप्त की थी जप्ती पत्रक प्र0पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर आरोपी लोकेन्द्र के हस्ताक्षर करवाये थे तथा आरोपी गौरव से प्र0पी-2 के वर्णानुसार एक ऑटोमैटिक पिस्टल मेड इन इटली अंग्रेजी में लिखा था जिसकी मैगजीन में दो जिंदा राउण्ड पीतल के थे जिनकी पेंदी पर 7.35 लिखा था, बैरल की लंबाई 5.5 इंच तथा बट की लंबाई 3.5 इंच थी बट पर दोनों तरफ कथई कलर का फाईवर लगा था जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-2 बनाया। जप्ती प्र0पी-2 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर आरोपी गौरव के हस्ताक्षर करवाये

थे उक्त जप्ती उसने अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने बस स्टैण्ट मौ पर की थी। आरोपी गौरव व लोकेन्द्र को गिरफ्तार कर प्र०पी-3 व 4 का गिरफ्तारी पत्रक समक्ष गवाहन बनाया था जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा हथियार को जांच एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रभारी के निर्देश पर ए.एस. आई अवनीश शर्मा अ०सा०३ के सुपुर्द किया था। थाना वापिस लौटकर अपनी वापिसी रोजनामचा सान्हा क्रमांक 539 पर इन्द्राज की थी जो एसआई अवनीश शर्मा अ०सा०३ द्वारा लेख की गयी थी। थाना लौटकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र०पी-5 लेख किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी गौरव से आर्टिकल ए की पिस्टल व आर्टिकल ए-1 व ए-2 के राउण्ड और आरोपी लोकेन्द्र से आर्टिकल बी के कारतूस जप्त किए थे।

6. साक्षी अमीन अ०सा०२ ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है जब वह दुकान पर बैठा था तब एक पुलिसकर्मी ने उसके कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे जिनमें क्या लिखा था उसे नहीं मालूम जप्ती पत्रक प्र०पी-1 व 2 व गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी-3 व 4 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 15.06.14 को पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण से पिस्टल व 6 राउण्ड जप्त किए थे और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी-6 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. मोहनसिंह अ०सा०४ ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है और उसे घटना की जानकारी नहीं है और ना ही पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही की जप्ती पत्रक प्र०पी-1 व 2 के डी से डी भाग पर व गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी-3 व 4 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछ जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 15.06.14 को पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण की तलाशी ली तो गौरव के पास से पिस्टल व दो राउण्ड व लोकेन्द्र के पास से चार राउण्ड जप्त हुए थे और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी-7 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
8. साक्षी राजकिशोरसिंह अ०सा०६ ने कथन किया है कि वह दिनांक 07.07.14 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आर्म मोहरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना मौ के अप०क्र० 221/14 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा एक 32 बोर पिस्टल एवं 32 बोर के 6 जिंदा राउण्ड आरक्षक 736 लाखनसिंह के द्वारा अलग-अलग सफेद कपड़े में सीलबंद जांच हेतु प्राप्त हुए उक्त पिस्टल की संपूर्ण लंबाई 20से.मी. बैरल की लंबाई 10से.मी. एवं ग्रिप की लंबाई 9से.मी. थी। ग्रिप फाईबर का लगा था पिस्टल की बैरल बॉडी पर अंग्रेजी में ऑटोमेटिक पिस्टल मेड इन इटली अंकित था पिस्टल का एक्शन चैक करने पर पिस्टल का एक्शन सही काम करता था 32 बोर पिस्टल से फायर किया जा सकता था पिस्टल के साथ दो राउण्ड तथा चार राउण्ड अलग-अलग कपड़े में सीलबंद जांच हेतु प्राप्त हुए सभी 6 राउण्डों की पेंदी पर अंग्रेजी में के.एफ.7.65 अंकित था उक्त जप्तशुदा राउण्डों को फायर किया जा सकता था। बाद जांच पिस्टल एवं राउण्डों पर सील नमूना की पर्ची चस्पा कर थाना मौ वापिस किया

गया। उसके द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट जो प्र0पी-9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. साक्षी दीपक तिवारी अ0सा05 का कथन है कि वह दिनांक 30.12.14 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन एवं थाना मौ के अप0क0 221/14 की केस डायरी संबंधित अभिलेख एवं थाना मौ के प्र0आरक्षक श्री नेकराम शर्मा के द्वारा सफेद कपड़े में मुंहबंद कर लाये गये आयुध को खुलवाकर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री मधुकर अग्नेय द्वारा खुलवाकर देखा था जिसमें चार जिन्दा राउण्ड व एक ऑटोमैटिक पिस्टल व दो जिन्दा राउण्ड के थे। उक्त आयुध अभियुक्तगण लोकेन्द्रसिंह पुत्र घनश्यामसिंह कुशवाह निवासी नुन्हाटा थाना उमरी के अधिपत्य से चार जिन्दा राउण्ड व गौरव पुत्र वीरबहादुरसिंह भदौरिया निवासी सुरपुरा हाल इटावा रोड भिण्ड के आधिपत्य से एक ऑटोमैटिक पिस्टल व दो जिन्दा राउण्ड अवैध रूप से पाये जाने के कारण उक्त अभियोजन स्वीकृति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री मधुर अग्नेय द्वारा प्रदान की गयी थी जो प्र0पी-8 है जिस पर ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी मधुकर अग्नेय के हस्ताक्षर हैं व बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं।
10. प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अमीन अ0सा02 और मोहन अ0सा04 ने आरोपीगण से कोई आयुध जप्त होने से इंकार किया है। अतः उक्त दोनों महत्वपूर्ण स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अतः प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में मात्र जप्तीकर्ता अधिकारी बी0एस0परिहार अ0सा01 की ही साक्ष्य अभिलेख पर है। अतः प्रत्यक्ष साक्षी की एकल साक्ष्य विश्वसनीय रहने पर ही उस पर निर्भर रहा जा सकता है क्योंकि उसकी साक्ष्य की संपुष्टि का प्रकरण में अभाव है।
11. बी0एस0परिहार अ0सा01 ने पैरा 5 व 6 में इस आशय के तथ्यों की जानकारी से इंकार किया है कि घटना के 8 दिन पहले अनारसिंह निवासी मौ से देशी शराब की सात पेटियां पकड़ी थीं और अनारसिंह से मिलकर यह मिथ्या कार्यवाही उसने की है। अनारसिंह से मदिरा जप्त होने के तथ्य से जप्तीकर्ता अधिकारी ने इंकार किया है अतः ऐसी दशा में उक्त प्रतिरक्षा को साबित करने का भार बचाव पक्ष पर रहता है। परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि अनारसिंह से घटना के 8 दिन पहले मदिरा जप्त हुई थी। अतः उक्त तथ्य के प्रमाणन के अभाव में अनारसिंह के साथ मिलकर आरोपीगण को झूठा फंसाये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
12. बी0एस0परिहार अ0सा01 ने पैरा 5 में स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व 2 में नमूना सील अंकित नहीं है। उसे यह भी याद नहीं है कि उसने आयुध जप्त करते समय उस पर नमूना सील लगाई थी अथवा नहीं। यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 पर नमूना सील अंकित नहीं है। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व 2 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उस पर नमूना सील अंकित नहीं है। आयुध को मौके पर सीलबंद किया जाना भी जप्तीकर्ता अधिकारी ने याद न होना बताया है। न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल ए-1 पर भी कोई सील अंकित नहीं है। जबकि राजकिशोर अ0सा06 ने पैरा 2 में बताया है कि उसने पिस्टल व राउण्ड को सील करके सील नमूना की पर्ची चस्पा की थी। उक्त तथ्य तात्त्विक विरोधाभास व संदेह उत्पन्न करता है। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व 2 के नमूना सील

के अभाव में और बी0एस0 परिहार अ0सा01 के सीलबंद किए जाने के तथ्य को याद न होने के अभाव में आयुध मौके पर सीलबंद किया जाना विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं होता है। मौके पर आयुध सीलबंद न किए जाने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। बी0एस0परिहार अ0सा01 व राजकिशोर अ0सा06 के कथन में नमूना सील की पर्ची आयुध के चस्पा होने के संबंध में उपरोक्त विरोधाभास में न्यायालय में प्रस्तुत आयुध व मौके से जप्त आयुध व परीक्षण हेतु भेजा गया आयुध एक ही था यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है।

13. बी0एस0 परिहार अ0सा01 ने पैरा 2 में बताया है कि उसे याद नहीं है कि वह गश्त के लिए कितने बजे निकला था उसके साथ जो अन्य दो पुलिसकर्मी गये थे उनका नाम उसे याद नहीं है उसे मुखबिर से कितने बजे सूचना मिली यह भी उसे याद नहीं है। अतः बी0एस0परिहार अ0सा01 को पुलिस अधिकारी होते हुए भी उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान नहीं है जबकि घटना के लगभग एक वर्ष उपरांत ही न्यायालयीन साक्ष्य अंकित की गयी है। उक्त तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बी0एस0परिहार अ0सा02 ने पैरा 2 में ही कथन किया है कि वह रोजनामचे पर रवानगी डालकर गये थे लेकिन रवानगी रोजनामचा सान्हा ही अभियोजन ने साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः स्मृति ताजा करने हेतु भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है और घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज रोजनामचा अस्तित्व में होने के उपरांत भी अभियोजन द्वारा पेश न किया जाना पर्याप्त संदेह उत्पन्न करता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व 2 और गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 व 4 में भी रोजनामचा सान्हा का पद रिक्त है। अतः रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि कर घटनास्थल से रवाना हुआ होगा तो उसका उल्लेख उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व 2 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 व 4 में अवश्य होता जिससे नियमानुसार रोजनामचे में रवानगी अंकित कर घटनास्थल पर बी0एस0परिहार अ0सा01 कारवाना होना संदेहास्पद प्रतीत होता है।
14. बी0एस0परिहार अ0सा01 ने पैरा 4 में कथन किया है कि मोहन अ0सा04 व अमीन अ0सा02 उसे बस स्टैण्ड पर ही मिले थे लेकिन उक्त दोनों साक्षीगण ने न्यायालयीन साक्ष्य में बस स्टैण्ड पर बी0एस0परिहार अ0सा01 द्वारा कोई कार्यवाही किए जाने के तथ्य से इंकार किया है। जबकि बी0एस0परिहार अ0सा01 ने पैरा 3 में बताया है कि बस स्टैण्ड भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां काफी लोग भी रहते हैं। अतः घटनास्थल सार्वजनिक स्थान होने के उपरांत भी उल्लिखित स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा भी अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।
15. बी0एस0 परिहार अ0सा03 ने कथन किया है कि जब उसने आरोपीगण को गिरफ्तार किया तब वह क्या वस्त्र पहने हुए थे उसे यह भी याद नहीं है। जबकि गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 व 4 में वस्त्र पहनने की आदत का उल्लेख है जोकि उसी के द्वारा विरचित किया गया है और लिखा गया है। अतः उसी के द्वारा विरचित दस्तावेज की जानकारी जप्तीकर्ता अधिकारी को नहीं है।
16. अतः स्वतंत्र साक्ष्य की संपुष्टि के अभाव में बी0एस0परिहार अ0सा01 के कथन भी उपरोक्त कारणों से विश्वसनीय व निर्भर रहने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। उसके द्वारा मौके पर अकारण आयुध सीलबंद नहीं किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत आयुध और जांच के चरण पर प्रस्तुत आयुध में ही अंतर स्पष्ट हुआ है।

1टनास्थल पर रवाना होने के तथ्यों का भी उसे ज्ञान नहीं है। उसकी उपस्थिति प्रमाणित करने का रवानगी रोजनाचा भी अभिलेख पर नहीं है और ना ही रोजनामचा का उल्लेख मौके पर विरचित दस्तावेजो पर है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्य अभियोजन मामले को संदेहास्पद बनाते हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहता है।

17. अतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी गौरव ने दिनांक 15.06.14 को 17:10 बजे बस स्टैण्ड थाना मौ जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञा के एक ऑटोमेटिक पिस्टल मय दो जिन्दा राउण्ड के रखी तथा अभियुक्त लोकेन्द्र ने अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञा के चार जिन्दा राउण्ड रखे।
18. परिणामतः आरोपीगण को धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
19. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
20. प्रकरण में जप्त आयुध अपील अवधि पश्चात निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)